

182/2015

उनवान

हिनाड पिता घीसा जाट नि० गोरा का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा  
\_\_\_\_\_ ( प्रार्थी )

बनाम

1. हलदेव पिता नन्दा जाट नि० गोरा का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. नैक पिता नन्दा जाट नि० गोरा का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. बालु खां पिता घासी खां मुसलमान नि० गोरा का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. नजीर खां पिता घासी खां मुसलमान नि० गोरा का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. नजीर खां पिता घासी खां मुसलमान नि० गोरा का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. देवी पिता हीरा चमार नि० गोरा का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. जगन लाल पिता बालु जाट नि० गोरा का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. रामकुमार पिता बालु जाट नि० गोरा का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
9. नानु पिता नाराम भील नि० गोरा का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
10. श्रवण पिता नाराम भील नि० गोरा का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
11. जोटु पिता नाराम भील नि० गोरा का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
12. पतासी पिता केसर खां मुसलमान नि० गोरा का खेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
13. बी०ओ०बी० बैंक शाखा डाबला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

\_\_\_\_\_ ( अप्रार्थीगण )

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा०भू०अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

::: निर्णय :::

दिनांक - 18.05.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा०भू०राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय ने दिनांक 08.03.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत 2070 से 2073 की जमाबंदी अनुसार बालु खां गोरा का खेडा पटवार क्षेत्र कुण्डियाकंला भू०अ०निरीक्षक क्षेत्र रायला तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 6 के आ०न० 420/1, 580, 581, 584/1, 588, 589 कुल किता 6 कुल रकबा 07-01 बीघा लिखत हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम कुण्डियाकंला में दिनांक 18.05.2016 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर कोई आपत्ति नहीं होना बताया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नहीं होने से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरुद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का न्यायपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

::: आदेश :::

गोरा का खेडा पटवार क्षेत्र कुण्डियाकंला भू०अ०निरीक्षक क्षेत्र रायला तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 6 के आ०न० 420/1, 580, 581, 584/1, 588, 589 कुल किता 6 कुल रकबा 07-01 बीघा की पत्थरगढ़ी बहालत पक्षकारान तहसीलदार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू०अ०नि० की कमिश्नर कोष 700/- रुपये पत्थरगढ़ी के समय मौके पर जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प कुण्डियाकंला में सरे इजलास सुनाया

  
\_\_\_\_\_